बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर

सिरोंजा सागर, (म.प्र.)

(प्रथम ऑफ लाईन निविदा दस्तावेज)

दुग्ध संकलन परिवहन कार्य हेतु

प्रथम ऑफ लाईन निविदा

2022—2025

निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 250/

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर

क्रमॉक 110/बु.स.दु.सं./क्षे.सं./दु.परि.नि./11 सी/22 दिनॉक 04 02 2022

दुग्ध संकलन परिवहन हेतु प्रथम ऑफ लाईन निविदा सूचना

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर कार्यक्षेत्र के अंतर्गत दुग्ध शीत केन्द्रों (शाहगढ़, हटा, राजनगर, पन्ना, अजयगढ़) पर दुग्ध समितियों से दिनांक 16.03.2022 से 15.03.2025 तक 03 वर्ष की अवधि हेतु दुग्ध संकलन कार्य के लिये पंजीकृत निर्धारित क्षमता के वाहनों के लिए ऑफ लाईन निविदा दिनांक 28.02.2022 तक आंमत्रित की जाती है। एवं दिनांक 02.03.2022 को 03 बजे तक खोली जावेगी।

प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ पृथक–पृथक मार्ग की रू. 10000.00 प्रति वाहन/दुग्ध संकलन मार्ग के मान से अथवा अधिकतम राशि रू. 200000.00 की EMD डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

निविदा अवधि पूर्ण होने एवं कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से एक–एक वर्ष करके अनुबंधित अवधि में अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व अनुमोदित दर व शर्त पर की जा सकेगी। लोडिंग वाहन मॉडल 2018 या उसके बाद का होना चाहिए।

निविदा फार्म रु. 250 जमाकर कार्यालय सागर एवं दुग्ध शीत केन्द्र राजनगर,शाहगढ़, हटा, पन्ना एवं अजयगढ़ से प्राप्त किए जा सकते है। जिसमें निविदा प्रपत्र का पूर्ण विवरण निविदा कार्यक्रम/मार्गो की विस्तृत जानकारी/ अनुबंध की शर्ते/नियम देखी जा सकती हैं।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

–:निविदा का विवरण :–

निविदा कार्य :–

1. बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र में कार्यरत दुग्ध समितियों से दुग्ध परिवहन कर डेयरी संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्र शाहगढ़, राजनगर, पन्ना, अजयगढ़, हटा परिवहन अवधि (16.03.2022 से 15.03.2025 तक) 3 वर्ष हेतु ऑफ लाईन निविदा।

निविदा क्रय हेतु प्रारंभ दिनांक एवं समय	:	07/02/2022 01:00 PM
निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक एवं समय	:	28/02/2022 02:00 PM
निविदा खोले जाने की दिनांक एवं समय	:	02/03/2022 04:00 PM
निविदा खोले जाने का समय एवं स्थान	:	28/03/2022 03:00 PM

पत्राचार हेतु पताः–   बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सिरोंजा सागर (म.प्र.)

निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र हेतु निम्न जानकारी/दस्तावेज ''तकनीकी निविदा'' लिफाफा क्र. (1) में रखे जाने वाले प्रपत्र ।

(अ) धरोहर राशि (EMD) (डिमान्ड ड्राफ्ट DD RS.10,000)
(ब) वाहन के कागजात
(स) निविदा प्रपत्र (फार्म A) हस्ताक्षरित ANNEXURE III
(द) निविदा नियम एवं शर्ते ANNEXURE I

निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र हेतु निम्न जानकारी/दस्तावेज ''वित्तीय निविदा'' लिफाफा क्र. (2) में रखे जाने वाले प्रपत्र ।

भाव पत्र (फार्म B) ANNEXURE IV ।

(ANNEXTURE-I)

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर
दुग्ध परिवहन निविदा प्रस्तुत करने बावत् नियम एवं शर्ते

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर द्वारा विभिन्न मार्गो से दुग्ध संकलन, शीत केन्द्र/आरएमआरडी, सागर तक परिवहन हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र में वर्णित शर्तों को कृपया ध्यान से पढ़ लेवें।
2. दुग्ध संकलन मार्गों पर निविदा भरने हेतु रु. 250/– निविदा फार्म शुल्क, कार्यालय सागर एवं दुग्ध शीत केन्द्र शाहगढ़, हटा, राजनगर, पन्ना एवं अजयगढ़ से जमा कर निविदा फार्म क्रय किए जा सकते है। शीत केन्द्रों से एवं सागर कार्यालय से क्रय किए गए निविदा फार्म ही मान्य होगें। एवं रु. 250/– की पावती रसीद तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगी। पूर्ण भरे गए निविदा फार्म संबंधित शीत केन्द्र पर जमा किए जा सकते है।
3. (i) निविदा के साथ रूपये 10,000/–(रूपये दस हजार मात्र) प्रति वाहन/दुग्ध संकलन मार्ग के मान से एवं अधिकतम राशि रूपये 2.00 लाख रु. DD के माध्यम से जमा करना होगा।

   (ii) सुरक्षा निधि अनुमानित एक माह के भुगतान देयक के समतुल्य रहेगी। सुरक्षा निधि बावत् अन्य कोई भी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं किया जावेगा। DD द्वारा EMD राशि को सुरक्षा निधि मे समायोजन किया जा सकेगा।
4. बिना हस्ताक्षर अथवा अपूर्ण जानकारी वाली निविदाओं को, निविदा प्रक्रिया से बाहर रखा जावेगा।
5. निविदा दिनॉक 28.02.2022 को दिन के 3:00 बजे तक दुग्ध संघ कार्यालय में स्वीकार की जावेगी। इसके लिए कार्यालयीन घड़ी का समय ही मान्य होगा।
6. निविदा प्रस्तुत करने के दिनॉक को ऐसे निविदाकार जिनके पास स्वंय के नाम का आर.टी.ओ. द्वारा पंजीकृत वाहन हो या ऐसे निविदाकार जो कार्य प्रारंभ करने के 10 दिन पूर्व अपना वाहन उपलब्ध करा सकेगें, वे निविदा भरने के पात्र होगें। इस समयावधि में किसी भी स्थिति में बढ़ोत्तरी नहीं की जावेगी। निर्धारित अवधि में ऐसे निविदाकारों द्वारा वाहन उपलब्ध न कराने की दशा में धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी। निविदाकार द्वारा स्वंय की मिलकीयत दर्शाने के लिए कोई इकारानामा/शपथ पत्र/रसीद अथवा कोई अधिकार पत्र मान्य नही किया जावेगा। केवल आर.टी. ओ. द्वारा पंजीकृत पत्र ही वाहन की मिलकीयत के लिए मान्य होगा।
7. नवीन वाहन की स्थिति में निविदाकार को कार्यआदेश प्राप्त करने के दिनॉक से 10 दिवस की अवधि के अंदर कार्यादेश में वर्णित समस्त दस्तावेज उपलब्ध (प्रस्तुत) करना आवश्यक एंव अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में कार्यादेश निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।
8. सफल निविदाकार की वाहन में संघ स्तर से जी.पी.एस. प्रणाली (GPS SYSTEM) लगाया जावेगा जिसका व्यय एवं किराया संघ द्वारा वाहन ठेकेदार के देयक से कटौत्रा किया जावेगा एवं जी.पी. एस. की मानीटरिंग संघ स्तर पर की जावेगी।
9. निविदा में दर निर्धारण करते समय एक मार्ग पर एक से अधिक निविदाकार की दर समान आने की स्थिति में वाहन के नवीनतम माडल को प्राथमिकता दी जावेगी। वाहन का समान निर्माण वर्ष आने पर लाटरी व्यवस्था अपनाई जावेगी।

10. निविदाकार के पास स्वयं के नाम पर पंजीकृत व्यावसायिक वाहन होना चाहिये। ऐसे निविदाकार ही निविदा भरने के पात्र होगे। निविदा में वर्णित वाहन का बीमा, पंजीयन , निविदाकार का पेन कार्ड, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंजीयन, प्रदूषण जॉच रिपोर्ट एवं अन्य कागजात निविदा पत्र के साथ तकनीकी बिड वाले लिफाफे में प्रस्तुत करना होगी। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदा स्वीकृत होने पर निर्धारित तिथि पर वाहन उपलब्ध न कराने की स्थिति में संबंधित मार्ग की प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।

11. निविदा में निर्धारित मार्ग में दूरी की कमी/वृद्धि की जा सकेगी, जिसका भुगतान स्वीकृत दर के अनुसार घटी/बढ़ी दूरी के अनुपात में कम/अधिक भुगतान किया जावेगा।

12. निविदा के अस्वीकृत होने पर धरोहर राशि की पूरी रकम तीन माह में वापस लौटायी जायेगी अथवा निविदा स्वीकार होने पर धरोहर राशि की रकम ठेके/दुग्ध परिवहन कार्य हेतु निर्धारित नियमों और शर्तो के अनुसार दी जाने वाली सुरक्षा निधि में समायोजित कर ली जावेगी।

13. निविदा सभी मार्ग तथा किसी भी एक मार्ग के लिए अस्वीकृत की जा सकती है ।

14. निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने से यह मान लिया जावेगा कि निविदा प्रस्तुत करने के लिए दी गयी निविदा की शर्ते/अनुबंध आदि का अवलोकन निविदाकार द्वारा कर लिया गया है, तथा परिवहन हेतु निर्धारित मार्ग की जानकारी से स्वयं को अवगत करा लिया गया है तथा उसे स्वीकृत है।

15. किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में उस पर सभी भागीदारों के हस्ताक्षर आवश्यक होना चाहिए या किसी भागीदारी की अनुपस्थिति में उसकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए, जिसके पास ऐसा करने के लिए मुख्त्यार नामा है। इस प्रकार संबंधित प्रतिनिधि भारतीय भागीदार अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। साथ में पंजीकृत पार्टनरशिप डीड पत्र भौतिक निविदा प्रपत्र के साथ लिफाफे में देना होगा।

16. दुग्ध संघ की ऐसी पंजीकृत दुग्ध समितियॉ, जो दुग्ध परिवहन लोडिंग वाहन, मार्केटिंग वाहन आदि क्रय एवं संचालन करने में सक्षम तथा इच्छुक है, तो वे समितियां भी निविदा में भाग ले सकती है।

17. सभी निविदायें या कोई भी निविदा बिना कारण बताये अस्वीकृत की जा सकती है। निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् उसे वापस लेने का अधिकार निविदा प्रस्तुत कर्ता को नहीं होगा। निविदा में प्रस्तुत जानकारी किसी भी समय गलत पायी जाने पर अमानत राशि राजसात कर ठेका निरस्त किया जावेगा।

18. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकर्ता को अनुबंध तथा प्रतिभूति की राशि के साथ बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ की नाम मात्र की सदस्यता प्राप्त करने हेतु रूपये 100/– का एक अंश प्रतिवर्ष अनिवार्य रूप से क्रय करना होगा। ऐसे सदस्य संस्था के प्रबंधन मतदान तथा लाभ के वितरण में भाग नहीं ले सकेगें। संघ के साथ व्यापारिक सम्बंध बने रहने तक वे नाम मात्र के सदस्य बने रहेगें।

19. प्राप्त निविदाओं में जिन मार्गो पर तीन निविदायें प्राप्त होगी एवं पूर्व स्वीकृत दर (विगत अनुबंधित दर) से अधिक पाई जावेगी, उन मार्गो पर निविदाकर्ताओं से समझौतावार्ता के आधार पर निर्धारित दरों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। दुग्ध संकलन मार्ग

में निविदा में प्राप्त दर की तुलना गत निविदा के अंतिम भुगतान के देयक की दर से की जावेगी।

20. प्राप्त निविदाओं में जिन मार्गों पर तीन निविदाऐं प्राप्त होगी एवं पूर्व स्वीकृत दर/(विगत अनुबंध दर) से अधिक पाई जावेगी, उन मार्गों पर निविदाकर्ताओं से समझौता वार्ता के आधार पर निर्धारित दरों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। ऐसे दुग्ध संकलन मार्ग जिस पर निविदा में प्राप्त दर गत वर्ष की प्रारंभिक निविदा दर (डीजल दर वृद्धि/कमी)/वर्तमान दर (गत एक वर्ष की औसत दर) के समतुल्य/कम पाई जाती है तो समस्त अर्हताऍ पूर्ण होने पर उस मार्ग पर समझौता वार्ता नहीं कराई जावेगी ।

21. निविदा स्वीकृत होने पर सुरक्षा राशि रु. 20,000/— जमा किया जाना अनिवार्य होगा। इस राशि में निविदा के साथ जमा धरोहर राशि रु. 10,000/— को समायोजित कर शेष राशि रु. 10,000/— निविदाकार द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जमा कराना अनिवार्य होगा। प्रारंभिक सुरक्षा राशि संघ को ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराकर अभिस्वीकृति देनी होगा, अन्यथा वाहन निविदाकार की धरोहर राशि जप्त कर निविदा निरस्त की जावेगी।

22. निविदाकार द्वारा निविदा पत्र के साथ संलग्न—रूपये 10,000/—(रूपये दस हजार मात्र) प्रति वाहन/दुग्ध संकलन मार्ग के मान से एवं अधिकतम राशि रूपये 2.00 लाख धरोहर राशि के रूप में जो जमा किया है कार्य प्रारंभ न करने की दशा में संघ द्वारा सम्बंधित मार्ग की प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।

23. निविदाकार द्वारा यदि निविदा में कोई अन्य शर्त लगायी जाती है तो ऐसी सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

24. नियमानुसार आयकर एवं अधिभार राशि की कटौती बिल में से की जायेगी यदि निविदाकार की कर योग्य सकल आय कर निर्धारण सीमा से कम हो तो उसे आयकर अधिकारी से आयकर का कटौत्रा न करने का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

25. दुग्ध संघ एवं दुग्ध समिति में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों एवं संचालक मण्डल के सदस्यों में निविदाकर्ता का कोई निकट का रिश्तेदार माता, पिता, पति, पत्नि, पुत्र, पुत्री, सगे भाई बहन आदि नही होना चाहिये। शिकायत प्राप्त होने पर एवं जॉच में सही पाये जाने पर निविदाकार द्वारा भरी गई समस्त प्रतिभूति/अमानत राशि संघ द्वारा राजसात कर ली जावेगी।

26. **अ)** भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत वाहन ठेकेदार द्वारा वाहन पर यदि कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी अथवा कर्मचारियों से वाहन पर कार्य लिया जावेगा तो उन कर्मचारियों की भविष्य निधि अधिनियम/कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान अनुसार वाहन ठेकेदार को संबधित विभाग से कोड नम्बर प्राप्त कर प्रावधान के अनुसार नियमित अंशदान जमा करना अनिवार्य होगा। जमा न करने की दशा में प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि अंशदान की राशि वाहन ठेकेदार के देयको/प्रतिभूति से वसूल की जावेगी। जिसकी पूर्ण जवावदारी वाहन ठेकेदार की होगी। इसी प्रकार श्रम अधिनियमों के अंतर्गत समस्त श्रम अधिनियमों के नियमों का पालन करने का दायित्व वाहन ठेकेदार का होगा। वाहन ठेकेदार को वाहन पर चलने वाले कर्मचारियों का पुलिस प्रमाणीकरण कराकर प्रस्तुत करना होगा।

ब) वाहन ठेकेदार को वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र बनवाना आवश्यक होगा, साथ

ही संघ द्वारा निर्धारित गणवेश पहनना अनिवार्य होगा। गणवेश का व्यय वाहन ठेकेदार द्वारा वहन किया जावेगा ।

27. मुख्य कार्यपालन अधिकारीको यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये किसी भी निविदा को अमान्य कर सकेगा।

28. सफल निविदाकार को रूपये 1000/—के नान ज्यूडिशियल स्टेम्प पेपर पर कार्य आदेश प्राप्ति के 20 दिवस के अंदर संघ से विधिवत तीन वर्ष हेतु अनुबंध निर्धारित प्रारूप में निष्पादित करना होगा। अनुबंध निष्पादित न करने की स्थिति में वाहन के कार्य आदेश को निरस्त करने का अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। एवं यदि वाहन संचालन अवधि 03 वर्ष से अधिक बढ़ाई जाती है तब पुनः वृद्धि अवधी का नवीन अनुबंध निष्पादित करना होगा।

29. जिन संस्थाओं द्वारा सीलड केन दी जावेगी, उसे उसी स्थिति में केनों को दुग्ध शीत केन्द्र/आरएमआरडी सागर पहुँचाना होगा। सील टूटी होने पर समितियों के दूध कमी की राशि की वसूली दुग्ध परिवहन देयक से की जावेगी।

30. मार्ग की दूरी अनुमानित है तथा इसमें समितियों की कमी/वृद्धि के साथ कमी/वृद्धि हो सकती है। मार्ग की दूरी तथा संकलन के अनुसार वाहन व्यवस्था पुनरक्षित की जा सकती है तथा मार्ग परिवर्तित किया जा सकता है एवं एक शीत केन्द्र से दूसरे शीत केन्द्र पर भी परिवर्तित किया जा सकता है।

31. जिन दुग्ध संकलन मार्गो पर बल्क मिल्क कूलर स्थापित हो रहें है अथवा किया जाना है, एवं दुग्ध वाहन के स्थान पर दुग्ध टैंकर से दूध लाने की संभावना है। साथ ही शासन की योजना के तहत अन्य जिन मार्गों पर बल्क मिल्क कूलर स्थापित होगें, वहॉ से टैंकर द्वारा दुग्ध संकलन की संभावना है। ऐसे मार्गो के दुग्ध परिवहन वाहन को कार्य से पृथक किये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

32. शटल मार्गों को सुविधा अनुसार अन्य मार्गों में भी जोड़ा जा सकता है।

33. वाहन ठेकेदार को वाहन अनुबंध प्रारम्भ होने के एक माह के अन्दर संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में संघ के सन्तुलित पशुआहार सुदाना, सांची दूध एवं दुग्ध पदार्थ का विज्ञापन अनुबन्धित वाहन पर लिखवाना होगा।

34. दुग्ध संकलन परिवहन के अनुबन्धित वाहनों पर पीछे हुड पर अनुबंध अवधि में त्रिपाल आवश्यक रूप से लगानी होगी, अन्यथा अनुबंध की शर्तो के अनुरूप आर्थिक दण्ड लिया जावेगा एवं इससे होने वाली अन्य हानियों का कटौत्रा भी किया जावेगा।

35. अनुबन्धित वाहन में ईधन के रूप में डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा। ईधन के रूप में अन्य (घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस) का उपयोग वर्जित माना जावेगा।

36. आयकर विभाग से यदि स्थायी लेखा संख्या नम्बर लिया है तो संघ को प्रस्तुत करना होगा। पेन नम्बर के अभाव में परिवहन देयक का भुगतान करना संभव नहीं होगा।

37. दुग्ध परिवहन हेतु अनुबंधित वाहन में जी.पी.एस सिस्टम (GPS Syatem) वाहन ठेकेदार को स्वयं के व्यय से लगवाना अनिवार्य होकर उसे चालू स्थिति में रखने की समस्त जवाबदारी होगी। यदि जी. पी.एस सिस्टम खराब होता है तो उसे स्वंय के व्यय से 24 घण्टे में रिपेयर करवाकर चालू करना

अनिवार्य रहेगा, ऐसा नही करने पर प्रतिदिन रू. 100/– की पेनल्टी लगाई जावेगी। लगातार जी.पी.एस. सिस्टम खराब रहने पर अनुबंध निरस्ती की कार्यवाही की जा सकेगी तथा ऐसे वाहन ठेकेदार को आगामी दो वर्ष तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित भी किया जा सकेगा।

38. निविदाकार को उसकी निविदा स्वीकृत होने पर संलग्न अनुबंध पत्र में उल्लेखित शर्तो को मान्य कर अनुबंध निष्पादित करना होगा।

39. निविदा/अनुबंध पत्र की किसी भी शर्त में कोई संशोधन करने, नई शर्त जोड़ने या उल्लेखित शर्तों में आंशिक संशोधन करने या उसे शिथिल करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को रहेगा।

40. निविदा को आंशिक/पूर्ण स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय, के पास सुरक्षित रहेगा, एवं यह अन्तिम होकर सभी को स्वीकार्य होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर

(A NNEXTURE-II)

अनुबंधकर्ता की फोटो

दुग्ध संकलन परिवहनकर्ता हेतु अनुबंध पत्र का नूमना पत्र

रूपये 1,000/– के नानज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध किया जाए।

// अनुबंध पत्र //

यह अनुबंध पत्र आज दिनॉक ———————————— को निष्पादित किया गया जिसका प्रथम पक्ष (मुख्य कार्यपालन अधिकारी) बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी हैं। एवं द्वितीय पक्षकार (निविदाकार) —————————— श्री/श्रीमति————————————————निवासी ———————————————————— एवं उत्तराधिकारी श्री/श्रीमती ————————————से है ।

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर द्वारा गठित दुग्ध सहकारी समितियों के संग्रहस्थल से दुग्ध केन ढक्कन सहित एवं सामग्री आरएमआरडी सागर/दुग्ध शीत केन्द्र —————————— तक एवं आरएमआरडी सागर/दुग्ध शीत केन्द्र —————————— से खाली केन ढक्कन सहित एवं सामग्री संस्था तक पहुॅचाने हेतु परिवहन करने के वास्ते प्रथम पक्षकार (बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर) से वाहन का पंजीयन क्रमांक ———————————————— हेतु द्वितीय पक्षकार द्वारा निर्धारित समय पर वाहन परिवहन हेतु आवेदन किया है और प्रथम पक्षकार ने इसमें आगे लिखे गये निबंधनों एवं शर्तो पर द्वितीय पक्षकार का आवेदन परिवहन दर रू————————(अक्षरी रूपये ——————————) प्रति किमी./प्रतिट्रिप) पर अग्रलिखित समस्त शर्तो के अनुसार अनुबंध किया जाता है।

अनुबंधकर्ता को अनुबंध पत्र पर स्वंय के पासपोर्ट साईज का फोटो सहित, नोटरी करवाकर प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध की शर्ते उभय पक्षों को मान्य होगी। दुग्ध संकलन मार्गो पर भविष्य में यदि टोल टेक्स प्रांरभ होता है तो टोल टेक्स की वास्तविक रसीदों की प्राप्ती पर संघ द्वारा अतिरिक्त भुगतान देयकों के साथ किया जावेगा। यदि वर्तमान दुग्ध संकलन मार्ग पर टोल टैक्स दिया जाना प्रचलित है, तब इसे प्रस्तुत दरों में शामिल कर निविदा दरो को प्रस्तुत किया जावें।

1. अ) यह ठेका अवधि दिनॉक ————————से दिनांक —————— तक प्रभावशील रहेगी।

   ब) अनुबंधद्वितीय वर्ष पश्चात संतोषजनक कार्य हाने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति से समान दर समान शर्त पर एक–एक कर अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

2. इन शर्तों को दुग्ध संकलन परिवहन ठेके की शर्ते कहा जावेगा। शर्तो में जहॉ–जहॉ संघ शब्द आएगा, उसका तात्पर्य बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर माना जावेगा, डेरी का तात्पर्य . . . . या शीत केन्द्र से . . . . . . होगा। समिति का तात्पर्य दुग्ध सहकारी समितियों से होगा।

3. प्रतिदिन सुबह एवं शाम निर्धारित समय पर धुले हुये खाली केन ढक्कन सहित संस्थाओं में पहुॅचाने एवं दुग्ध से भरे केन ढक्कन सहित आरएमआरडी सागर/दुग्ध शीत केन्द्र —————————— तक लाने की जवाबदारी

द्वितीय पक्ष की होगी। इस हेतु प्रथम पक्ष द्वारा समय समय पर आवश्कतानुसार दी गई निर्धारित समय सारणी द्वितीय पक्ष को मान्य होगी, मार्ग पर किसी भी संस्था का दुग्ध न लाने दशा में द्वितीय पक्ष को कारण सहित लिखित में सूचना प्रथम पक्ष को उसी दिन/पाली में देनी होगी इस प्रकरण की जाँच करने पर प्रथम पक्ष का निर्णय अन्तिम एवं द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।

अधिकतम 40 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समय सारणी निर्धारित की जाकर प्रत्येक पांईट से दूध उठाने एवं खाली केन एवं सामग्री प्रदाय हेतु प्रति पांईट 3 से 5 मिनिट समय दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में संघ द्वारा गति सीमा घटाई/बढ़ाई जा सकेगी।

केन एवंढक्कन की प्राप्ति एवं प्रदाय की मात्रा का हिसाब द्वितीय पक्ष को रखना होगा, संस्थाओं में केन एवं ढक्कन बदलने की दशा में अथवा गुम होने की दशा में द्वितीय पक्ष को एक सप्ताह के अन्दर निराकरण करना होगा, अन्यथा केन व ढक्कन की कीमत परिवहन बिल से काट ली जावेगी, एवं किया गया कटौत्रा वापस नही किया जावेगा।

4. प्रथम पक्ष द्वारा संस्था को दिये जाने वाले सभी सामान जैसे पशु आहार, घी, मिनरल मिक्सचर, चारा बीज, घी टीन/पेकेट, संस्थाओं में लगने वाला मिल्को टेस्टर, टेस्टींग सामान एवं स्टेशनरी आदि सामान समितियों को भेजा जाता है, इसका लेखा–जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा एवं सामान अगली पाली में समिति तक पहुँचाना होगा। वाहन ठेकदार को सम्बंधित समिति को सामान पहूँचाकर प्राप्ति रसीद तीन दिवस में कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी, अन्यथा इसकी राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी एवं काटी गई राशि किसी भी परिस्थिति में वापस नही की जावेगी, तथा लगातार तीन बार शिकायतें रहती है तो वाहन बन्द कर जमा अमानत राशि राजसात की जावेगी एवं आगामी दो वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।
5. यदि किसी कारण से संकलन बंद रखा जाता है और प्रथम पक्ष द्वारा इसकी सूचना दी जाती है, तो द्वितीय पक्ष को उन पालियों का कोई भाड़ा देय नही होगा।
6. निर्धारित समय में संस्थाओं का दूध डेरी तक लाने की पूरी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। किसी भी कारण से वाहन खराब होने पर दूसरी समान क्षमता के वाहन की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करना होगी, किसी भी दशा में डेरी पर वाहन के समय पर नहीं पहुँचने की स्थिति में, दूध खराब होने पर जो हानि होगी वह कंडिका 08 के अनुसार द्वितीय पक्ष से वसूल की जावेगी। अनुबंधित वाहन परिवर्तित करने पर उसी क्षमता का वाहन दुग्ध संकलन हेतु प्रथम पक्ष की अनुमति से चलाना होगा, अन्यथा क्षमता अनुसार परिवहन देयक का न्यूनतम दर से भुगतान किया जावेगा, साथ ही यदि किसी दिन द्वितीय पक्ष द्वारा दुग्ध संकलन हेतु वाहन नही भेजा जाता है, एवं प्रथम पक्ष को व्यवस्था कर वाहन भेजना पड़ता है इससे खट्टे/फट्टे दूध एवं दर अन्तर की जो भी हानि होगी, वह भी द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक/प्रतिभूति राशि में से काटी जा सकेगी।
7. संकलन वाहन में परिवहन के समय केन/डिब्बे/बोतल/जार में पानी/तेल/डीजल इत्यादि खाली बर्तन एवं अन्य सामग्री नही रखी जावेगी, यदि पाई जाती है तो एक दिवस के परिवहन देयक के बराबर राशि दण्ड स्वरूप काटी जावेगी, साथ ही यदि इस कारण दूध खराब हुआ तो दूध की हानि की राशि भी द्वितीय पक्ष से काटी जावेगी।
8. प्राकृतिक प्रकोप अथवा मानवीय कृत्यों(ऐसे कृत्या–कृत्य जिनके लिये स्वयं द्वितीय पक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि या उनकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार न हो, को छोड़कर) जो द्वितीय पक्ष के काबू के बाहर हो, जैसे कारणों को छोड़कर वाहन के निश्चित समय पर नही आने की दशा में खराब होने वाले दुग्ध की हानि को खट्टा होने पर 50 प्रतिशत एवं फटा होने पर 70 प्रतिशत मूल्य का देनदार द्वितीय पक्ष रहेगा। उपरोक्त राशि उसी अवधि के देयक से काटी ली जावेगी।
9. क्रमांक 8 में उल्लेखित प्राकृतिक प्रकोप/द्वितीय पक्ष के काबू के बाहर के मानवीय कृत्या–कृत्यों का पंचनामा बनाकर द्वितीय पक्ष द्वारा उसी पाली के कार्यकाल में प्रस्तुत किया जावेगा। इसके लिए दुग्ध संघ के अधिकृत प्रतिनिधि के सत्यापन होने पर कार्यालयीन कार्यवाही के उपरान्त काटी गई राशि द्वितीय पक्ष को वापिस की जा सकेगी।
10. एक्सीडेंट या अन्य परिस्थितियों में ठेके के अन्तर्गत कार्यरत वाहन या उसमें परिवहन की जाने वाली सामग्री अगर पुलिस द्वारा जप्त की जाती है तथा दूध की नुकसानी होती है, तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की पूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी एवं क्षति की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से वसूल की जा सकेगी।

11. वाहन हेतु डीजल की व्यवस्था का उत्तरदायित्व पूर्णतः द्वितीय पक्ष का रहेगा यदि डीजल के अभाव में दुग्ध संकलन नही किया जाता या वाहन देरी से भेजा जाता है, तो इससे समिति/संघ को होने वाली हानि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जा सकेगी। अनुबंधित वाहन में शासन के नियमों का पालन करते हुये ईधन के रूप में डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा। यदि वाहन ठेकदार द्वारा घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस से वाहन चलाया जाता है, एवं शासन या अन्य संस्था द्वारा जाँच में डीजल के स्थान पर घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस पाया जाता है एवं इस कारण शासन द्वारा वाहन जप्त किया जाता है तो वाहन ठेकेदार को संकलन के लिये अन्य वाहन की व्यवस्था करना होगी। यदि संघ स्तर से वाहन व्यवस्था स्थानीय बाजार से की जाती है, तो उसमें होने वाले अतिरिक्त व्यय की वसूली द्वितीय पक्ष से की जावेगी तथा अनुबंध समाप्त एवं प्रतिभूति राजसात की कार्यवाही भी की जा सकेगी।
12. द्वितीय पक्ष एवं उसके प्रतिनिधि के अनुपस्थित रहने की दशा में दूध का जो भी परीक्षण परिणाम होगा वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा ।
13. संघ के कार्य से संघ/संस्था के कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर वाहन में लाना एवं ले जाना होगा।
14. संघ से प्रदत्त सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई भी सामान/सवारी दुग्ध वाहन में नहीं लाई जावेगी, यदि ऐसा करते हुए किसी दिन पाया जाता है तो संघ जो दण्ड़ करेगा वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा। यह दण्ड अधिकतम उसी पाली के परिवहन देयक से अधिक नही होगा। यदि ऐसा दण्ड करने की एक बार से अधिक बार नौबत आई, तो संघ को अधिकार होगा कि, वह इस अनुबंध को उक्त कारण से निरस्त कर वाहन संचालन बंद करे दें, तथा हानि की वसूली कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर आगामी दो वर्षो तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दे।
15. **(अ)** पशु आहार ले जाने पर दुग्ध संघ द्वारा अनुमोदित दर पर वास्तवित भुगतान संघ द्वारा किया जावेगा। समिति पाईन्ट पर उतारने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी। टाटा 407 या छोटे वाहन में समितियों की मांग अनुरूप पशु आहार ले जाना आवश्यक होगा। घी 15 लीटर टीन/16 लीटर कार्टून का दुग्घ संघ द्वारा अनुमोदित दर पर वास्तविक भुगतान संघ द्वारा किया जावेगा, मिनरल मिक्सचर 25 किलो पैकिग एवं 50 किलो पैकिग का दुग्ध संघ द्वारा अनुमोदित दर पर वास्तविक भुगतान किया जावेगा।
(ब) पशु आहार/घी/मिनरल मिक्चसर के अलावा अन्य सामग्री जो परिवहन होगी उसका कोई भाड़ा देय नहीं होगा। जिसमें मार्ग में नई खोली जाने वाली समितियों का सामान भी सम्मिलित होगा, साथ ही बन्द समितियों का सामान वापस लाया जावेगा। उक्त सामान लाने एवं ले जाने में सावधानी रखी जावेगी, यदि असावधानी से कोई नुकसान होगा तो द्वितीय पक्षकार की जिम्मेदारी रहेगी एवं हानि होने पर द्वितीय पक्षकार के देयक से राशि काटी सकेगी।
(स)संघ द्वारा समितियों को प्रदाय हेतु दिये गये पशु आहार से यदि संस्था पर पशु आहार कम प्राप्त उतारा जाता है तो संघ को यह अधिकार रहेगा कि कम उतारे गये पशु आहार की राशि एवं साथ ही रूपये 100.00 प्रति बोरा की दर से अर्थदंड वसूल कर ले।
(द) पशु आहार के वितरण के लिये संघ के निर्देशों की अवहेलना करने पर द्वितीय पक्ष से प्रतिदिन प्रति बैग रूपये 100.00 प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक दण्ड वसूल किया जा सकेगा। इसके पश्चात भी पशु आहार नही ले जाने पर संघ द्वारा अलग से वाहन द्वारा पहुँचाया जावेगा जिसका वास्तविक परिवहन व्यय द्वितीय पक्ष के देयक से काटा जावेगा ।
16. संघ द्वारा निर्देशित रीति से प्रदत्त ट्रक शीट अनिवार्यतः भरवाने का कार्य द्वितीय पक्ष द्वारा किया जावेगा डिलेवरी चालान ट्रक शीट के साथ प्रस्तुत किया जावेगा ऐसा न करने पर समितियों से प्राप्त शिकायतें द्वितीय पक्ष को मान्य होगी तथा ऐसी हानि द्वितीय पक्ष के देयक से वसूली योग्य होगी। मार्ग की उन समितियों पर जहॉ पर सीधे वाहन लगाया जाता है ऐसी समितियों की केन संख्या एवं समय की जानकारी समिति कर्मचारियों से पूरी कराई जावेगी। समिति की खाली केन दुग्ध से भरी केन चढ़ाते समय ही प्रदाय की जावेगी यदि ऐसा नही किया जाता है एवं केन बीच में उतारता है तो इससे होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करने का उत्तर दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा तथा दुरूपयोग पर आर्थिक दण्ड किया जा सकेगा।
(अ) द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन पर जो कर्मचारी नियुक्त किये जावेगें वे संघ के निर्देशानुसार कार्य करेगें तथा उनके कृत्या–कृत्य के लिये प्रथम पक्ष जिम्मेदार नही होगा। द्वितीय पक्ष जो भी कर्मचारी वाहन संचालन हेतु रखेगा उनके संबंध में समस्त वैधानिक नियमों का पालन करने की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी। इनके द्वारा लापरवाही/अनियमितता अथवा अभद्र व्यवहार करने की दशा में संघ के आदेशानुसार उनके विरूद्ध कार्यवाही

करना होगी।

(ब) द्वितीय पक्ष या उनके प्रतिनिधि द्वारा संघ के संचालक मण्डल के सदस्यों/संघ अधिकारियों/कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया जाता है तो संघ को अधिकार रहेगा कि आर्थिक दण्ड से दण्डित करे या द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दें तथा आगामी 2 वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दे।

17. द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तो का निरन्तर उल्लंघन करने या असंतोषजनक कार्य करते रहने या अनुबंध अवधि के पूर्व अनुबंध हस्तांतरण न करते हुए वाहन बंद करने अथवा संघ द्वारा आदेशित निर्देशों का पालन न करने की दशा में प्रथम पक्ष को अधिकार रहेगा कि वह इस अनुबंध को निरस्त कर प्रतिभूति की राशि जप्त कर ले। इसके अतिरिक्त यदि इस कारण प्रथम पक्ष को कोई हानि होती है तो वह भी द्वितीय पक्ष के देयक से वसूल कर लें।

18. अनुबंध समाप्ति के पश्चात राशि वापस प्राप्त करने के लिये समिति द्वारा प्रदत्त बकाया नही के प्रमाण–पत्र, जो कि मार्ग पर्यवेक्षक से सत्यापित कर प्रस्तुत होगे, प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि ऐसे समस्त वसूली योग्य राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक तथा प्रतिभूति राशि से कटौत्रा कर लें। यदि कटौत्रा शेष रहता है, तो वसूली हेतु शासन के नियमानुसार राशि वसूल करने की कार्यवाही की जाएगी एवं परिवहनकर्ता को काली सूचीबद्ध भी किया जा सकेगा। काली सूचीबद्ध किये जाने में वाहन ठेकेदार सहित वाहन एवं वाहन परिचालन हेतु वाहन के सम्बंधित कर्मचारियों को भी काली सूचीबद्ध किया जा सकेगा। यदि एक ही वाहन मालिक दुग्ध संघ के अन्य दुग्ध संकलन मार्गों पर भी वाहन चल रहे तो उन्हें भी काली सूचीबद्ध किया जा सकेगा।

19. संघ द्वारा निर्देशित किये गये दुग्ध संकलन मार्गो को बढ़ाने एवं घटाने का अधिकार संघ को रहेगा। यदि संभव हुआ तो संघ द्वारा मार्ग को अन्य मार्ग में परिवर्तन किया जाकर, उस मार्ग की दुग्ध संस्था का परिवहन कार्य भी करवाया जा सकता है इसी तरह जितनी भी दूरी घटे–बढे उसे स्वीकृत दर से भाड़े का भुगतान किया जावेगा। साथ ही मार्ग की दुग्ध संस्थाओं को भी घटाया/बढ़ाया या परिवर्तित किया जा सकता है एवं नवीन दुग्ध संस्थाओं के गठन पर उनको भी इसमें शामिल या अन्य मार्गो में शामिल किया जा सकेगा, जो कि वाहन ठेकेदार को मान्य होगा। यदि अनुबंधित दुग्ध मार्ग पर संकलन अत्यधिक कम हो जाता है तो अल्पकालीन सूचना पर मार्ग का संकलन स्थगित किया जा सकता है। संकलन वृद्धि पर पुनः मार्ग को प्रारंभ किया जा सकेगा। जितने दिन संकलन स्थगित रखा जाता है, उतने दिनों का वाहन ठेकेदार को कोई भुगतान नही किया जावेगा। साथ ही यदि अनुबंधित मार्ग पर संकलन कम हो जाता है तो संघ हित में मार्ग को शटल अथवा बन्द किया जाकर अन्य मार्ग से सम्बद्ध किया जा सकेगा। शटल मार्ग करने से दूरी कम होने पर भी अनुबंधित दर से ही जितना वाहन चलेगा उतनी दूरी का भुगतान किया जावेगा।

20. अनुबंधित वाहनों पर पीछे हुड पर अनुबंध अवधि में बांस का टट्टर एवं उस पर त्रिपाल आवश्यक रूप से लगी होना चाहिये अन्यथा वाहन निर्धारित समय या समय से पूर्व आने पर भी खट्टे/फट्टे दूध की हानि राशि द्वितीय पक्ष के देयक से काटी जावेगी एवं आर्थिक दण्ड भी किया जावेगा तथा इससे होने वाली अन्य हानियों का कटौत्रा भी द्वितीय पक्ष के देयक से किया जा सकेगा। अनुबंधित वाहन में पीछे की ओर बिजली का बल्ब चालू हालत में रहेगा, जिससे खाली केनों को गिनने में कोई दिक्कत न हो। इसी प्रकार संघ की सूचना पर दूध से भरे केनों पर पानी छिडकने की व्यवस्था भी द्वितीय पक्ष को करना होगी। ऐसा न करने पर जो हानि होगी, उसका दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

21. यदि चैकिंग के दौरान अथवा इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की जाँच करने पर पाया जाता है कि, वाहन कर्मचारी दूध में गड़बड़ी, हेरा–फेरी, केन से दूध निकालने, दूध का विक्रय करते हुए, वाहन से दूध से भरे हुए जार/बोतल या दूध पीते हुए पाये जाते है या किसी भी प्रकार की अनियमितताऐं करते पाऐ जाते है, मार्ग में पड़ने वाली सभी समितियों को ठेके की अवधि में यदि दूध में कमी आई है और इससे संस्थाओं को एवं संघ को जो हानि हुई है उसका देनदार द्वितीय पक्ष रहेगा। यह राशि द्वितीय पक्ष के देयक से वसूली योग्य रहेगी तथा द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त करने एवं प्रतिभूति राशि जप्त करने का अधिकार भी प्रथम पक्ष को होगा तथा आगामी दो वर्षो तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

22. वाहन पर कार्यरत कर्मचारियेां के विरूद्ध सहकारी/सरकारी कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी एवं यदि इस कारण से संघ/संस्थाओं को कोई हानि होगी तो उसका जवाबदार द्वितीय पक्ष होगा तथा नुकसानी की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी।

23. द्वितीय पक्ष हड़ताल/कार्यबन्दी नही करेगा एवं ना ही इसमें भाग लेगा यदि द्वितीय पक्ष ऐसा करता है तो उससे होने वाली हानि एवं प्रथम पक्ष द्वारा जो भी दण्ड किया जावेगा, उसके लिये द्वितीय पक्ष जवाबदार रहेगा। साथ ही प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि इस कारण से द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दे एवं प्रतिभूति

राशि राजसात कर लेवें।

24. डेरी परिधि के अन्दर तेज रफ्तार से वाह नही चलाये जावेगें, डेरी परिधि में वाहन की साफ–सफाई नही की जावेगी। डेरी परिधि में वाहन के कर्मचारी नहाने धोने जैसे कार्य नही करेगें। यदि ऐसा किया जाता है तो संघ द्वारा जो निर्धारित दण्ड किया जावेगा उसका द्वितीय पक्ष देनदार रहेगा, साथ ही बिना अनुमति केनो को पानी भरने में प्रयोग नही किया जावेगा यदि ऐसा करते हुए पाया जाता है तो संघ द्वारा जो दण्ड दिया जावेगा, वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा। इसके अतिरिक्त डेरी परिसर में अन्दर आने के पश्चात जब तक वह वाहन वापस खाली बाहर नही जाता है, तब तक वाहन कर्मचारी वाहन के साथ ही रहेगें।
25. वाहन में सामान उतारने व समितियों पर दूध के केन चढाने उतारने, सामान की देख–रेख करने एवं केनों पर पानी छिड़कने आदि का कार्य भी द्वितीय पक्ष के द्वारा करवाया जावेगा।
26. वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रहेगा, यदि खराब हो जाता है तो 24 घंटो में पुनः द्वितीय पक्ष द्वारा सुधरवाया जावेगा।
27. दुग्ध वाहन पर प्रथमपक्ष द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऐसी सूचनाऐं जिसमें दुग्ध विक्रय हेतु नही है एवं सुदाना पशु आहार एवं दुग्ध पदार्थ का विज्ञापन लिखवाना होगा।
28. इस अनुबंध के अन्तर्गत यदि कोई राशि संघ/समितियों की निकलेगी तो प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष की चल/अचल संपत्ति से यह राशि वसूल करने का अधिकार होगा, इस प्रकार से की जाने वाली वसूली हेतु यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता हे तो उसके लिये भी द्वितीय पक्ष और उसका उत्तराधिकारी जिम्मेदार रहेगा।
29. परिस्थिति वश अथवा आवश्यकता होने पर प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह इस अनुबंध में यदि कोई शर्त को और सम्मिलित करना चाहे तेा ऐसी शर्त पर परस्पर चर्चा कर जो निर्णय लिया जावेगा, वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।
30. द्वितीय पक्ष अपना वारिस श्री/श्रीमती/कु ———————— संबंध———————— उम्र—— को पूर्ण होशोंहवास में नामांकित घोषित करता है। द्वितीय पक्ष की मृत्यु उपरान्त श्री/श्रीमती/कु.———————— को संघ से व्यवहार करने का अधिकार रहेगा। इसकी स्वीकृत के वारिस के हस्ताक्षर करवाकर प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष देगा।
31. द्वितीय पक्ष तथा प्रथम पक्ष के बीच मतभेद होने पर जो निर्णय संघ के अध्यक्ष द्वारा किया जावेगा वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।
32. दुग्ध संघ एवं दुग्ध समिति में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा संचालक मंडल के सदस्यों में द्वितीय पक्ष का कोई निकट रिश्तेदार पति, पत्नी, पुत्री, सगे भाई बंधु नहीं है यह तथ्य द्वितीय पक्ष शपथ पत्र पर प्रस्तुत करेगा। अगर जॉच के दौरान उपरोक्त कथन असत्य पाया गया तो प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि यह अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त कर ले ।
33. द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के परिचय पत्र मय फोटो के बनवाऐं जावेगे। वह हर समय गाडी के साथ रहेगें, एवं उसकी एक प्रति दुग्ध संघ के कार्यालय में देगें। वाहन के साथ एक चालक व उसका एक सहायक ही रहेगा, कर्मचारी बदलने पर पुनः उनका परिचय पत्र एवं फोटो कार्यालय में देना होगा। वाहन चालक एवं सहायक का नियुक्ति ओदश द्वितीय पक्ष द्वारा जारी किया जावेगा एवं उसकी एक प्रति दुग्ध संघ को भी पृष्ठांकित करेगा। परिवर्तन की स्थिति में दुग्ध संघ को तत्काल सूचित किया जाएगा।
34. द्वितीय पक्ष द्वारा दुग्ध परिवहन के साथ दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ (घी, मीठा दूध, श्रीखण्ड, मट्ठा) आदि की भरी एवं खाली क्रेट भी लाई एवं ले जाई जावेगी। यदि दुग्ध सकलन परिवहन के साथ विपणन की दरें भी अनुमोदित है तो किसी प्रकार का अतिरिक्त भाड़ा देय नही होगा। यदि दुग्ध संकलन परिवहन के साथ दुग्ध विपणन की दरें अनुमोदित नही है और निर्धारित मार्ग के अलावा वाहन को विपणन हेतु भेजा जात है, तो उसका अनुबंधित दरों से भाडा देय होगा। इस हेतु दुग्ध वितरण हेतु निर्धारित समय तक वाहन को रोका जा सकेगा।
    (अ) दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ वितरण हेतु दुग्ध संघ की अनुमोदित दर अनुसार परिवहन भुगतान किया जाएगा। इस हेतु द्वितीय पक्ष को क्रेट का पूर्ण हिसाब रखना होगा एवं खाली क्रेट संघ में प्रतिदिन जमा करानी होगी।
    (ब) दूध वितरक से प्राप्त मांग एवं रसीदे डेरी में प्रतिदिन जमा कराना होगी।
    (स) दिये गये दूध एवं दूध पदार्थो की पावती संघ मं लाकर देनी होगी।
    (द) समय पर दूध एवं दूध पदार्थ नही पहुॅचाने की स्थिति में सम्पूर्ण दूध एवं दूध पदार्थ का मूल्य वाहन ठेकेदार के देयक से वसूली की कार्यवाही की जावेगी।
35. स्थानीय मध्यप्रदेश शासन, भारत शासन द्वारा जो भी कर लागू किये जावेगें, वह द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक

से काट लिये जावेगें एवं उस राशि को शासकीय कोषालय में जमा किया जावेगा एवं प्रमाण पत्र प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को दिया जावेगा। आयकर विभाग का स्थाई लेखा संख्या नम्बर प्रथम पक्ष देगा।

36. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक होने पर लाईसेन्स प्राप्त करने का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। अनुबंध अवधि प्रारंभ होने के एक माह में लाईसेन्स प्राप्त कर उसकी छायाप्रति दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी।
37. द्वितीय पक्ष का जिस दुग्ध संकलन मार्ग का ठेका होता है यदि मार्ग खराब हो तो उन संस्थाओं का दुग्ध संकलन लाने हेतु स्वय द्वितीय पक्ष को व्यवस्था करना होगी, जिसका संपूर्ण दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा, इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जावेगा, यदि ऐसी व्यवस्था करने में द्वितीय पक्ष असफल होता होता है, तो प्रथम पक्ष द्वारा व्यवस्था की जावेगी वह द्वितीय पक्ष को मान्य रहेगी तथा उतनी राशि द्वितीय पक्ष के देयक से काटकर सम्बंधित को भुगतान करने का अधिकार प्रथम पक्ष को रहेगा। मार्ग खराब होते हुए भी वैकल्पिक व्यवस्था न करते हुये अपने वाहन का उपयोग द्वितीयपक्ष करता है, तथा इस कारण यदि संघ/समितियों को हानि होती है, तो उस हानि का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा एवं ऐसी हानि द्वितीय पक्ष के देयक से काटने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
38. दूसरी मंजिल में केन लाने हेतु पटियों का पार्टीशन करना होगा, किसी भी स्थिति में केनों के ऊपर केन रखने की अनुमति नही दी जावेगी। पार्टीशन व्यवस्था द्वितीय पक्ष को स्वयं करना होगी।
39. वाहन में दुग्ध से भरे केनों की क्षमता निम्नानुसार होगी :–
    - जीप/टेम्पों/छोटा हाथी/समकक्ष — 20 केन
    - टाटा एसीई/मिनीडोर वेन/छोटा हाथी — 30 केन
    - पिकअप या समकक्ष — 40 केन
    - मेटाडोर/ट्रेक्टर या समकक्ष — 55 केन
    - टाटा 407 या समकक्ष — 75 केन
    - टाटा 608/आयशर/डी.सी.एम./माजदा/आलवीन या समकक्ष — 120 केन

    अनुबंधित वाहन में उक्त उपरोक्त क्षमता से अधिक केन आने पर प्रति पाली रूपये 5.00 प्रति केन का अतिरिक्त भुगतान किया जावेगा।
40. परिवहन देयक के भुगतान हेतु प्रत्येक माह 1 से 30/31 तक का परिवहन देयक द्वितीय पक्ष द्वारा आगामी माह की दिनांक 3 तक दुग्ध संघ/डेयरी संयंत्र/शीत केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा, जिसका भुगतान आगामी माह की संभावता दिनांक 20 तक किया जावेगा।
41. संघ द्वारा दुग्ध समितियों हेतु प्रति पाली दी जाने वाली वेट स्लीप एवं एडवाईज पहुॅचाने एवं उसकी प्राप्ति लाकर संघ कार्यालय में समय पर पहुॅचाने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। ऐसा न करने पर संघ द्वारा प्रति पाली प्रति संस्था के हिसाब से रूपये 25.00 एवं दण्ड स्वरूप द्वितीय पक्ष के देयक से कटौत्रा की जावेगी। तौल पर्ची न देने के कारण हुई संस्था की दुग्ध हानि की प्रतिपूर्ति द्वितीय पक्ष के वाहन देयक से कटौत्रा कर की जावेगी।
42. यदि किसी दुग्ध संकलन मार्ग की किसी भी एक या अनेक समितियों से निरन्तर दूध या फैट की शिकायत संघ कार्यालय, को प्राप्त होती है, तो संघ के अधिकारी/पर्यवेक्षक 3 पाली तक उक्त मार्ग के दुग्ध वाहन के साथ जावेगें, अधिकारी/पर्यवेक्षक दूध वाहन के साथ संलग्न करने पर उन दिनों में यदि किसी भी समिति में कोई कमी न आती है, तो यह मानकर कि दुग्ध या फैट में कमी वाहन स्तर पर ही हो रही है, समितियों को होने वाले नुकसान की राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक/प्रतिभूति राशि से काटी जावेगी।
43. मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 30 दिन की पूर्व सूचना पर बिना कारण बताऐ अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा, परन्तु उनके वाहन में नियुक्त कर्मचारियों के अवैधानिक अथवा अपराधिक कार्यों में सन्निहित होने की दशा में पुष्टि होने पर बिना पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और इन परिस्थितियों में संघ द्वारा किसी प्रकार की पूर्व सूचना नही दी जावेगी। द्वितीय पक्ष द्वारा इस अनुबंध पत्र की शर्तो का उल्लंघन करने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अधिकार होगा कि बिना पूर्व सूचना दिये इस अनुबंध पत्र को निरस्त करने व अनुबंध पत्र निरस्त करने की दशा में संघ को जो हानि होगी, उसकी समस्त जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
44. संघ द्वारा निर्धारित समय सारणी अनुसार ही द्वितीय पक्ष को दुग्ध परिवहन कार्य करना होगा यदि दुग्ध परिवहन वाहन निर्धारित समय पर दुग्ध परिवहन पाईन्ट पर नही पहुॅचता है तो ऐसी दशा में समिति कर्मचारी निर्धारित

समय के पश्चात एक घंटे तक परिवहन पाईन्ट पर उपस्थित रहेगा। इस अवधि में भी वाहन दुग्ध परिवहन नही करता है तो उस दूध के खट्टे/फट्टे से हुई हानि की राशि एवं उस दूध को डेरी डाक/शीत केन्द्र तक पहुँचाने में समिति द्वारा किये गये व्यय की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी।

45. स्वीकृत दरें अनुबंध समाप्ति तक मान्य रहेगी, लेकिन अनुबंध अवधि में यदि डीजल दरों में कमी/वृद्धि होती है, तो ही अनुबंधित दर में कमी/वृद्धि की जावेगी दर में कमी/वृद्धि की गणना निम्नानुसार की जावेगी।

क्र.	वाहन का प्रकार	औसत प्रति लीटर
01.	जीप/टेम्पों/समकक्ष	30 कि.मी.
02.	टाटा एसीई/मिनीडोर वेन/छोटा हाथी	22 कि.मी.
03.	पिकअप या समकक्ष	15 कि.मी.
04.	मेटाडोर/ट्रेक्टर या समकक्ष	10 कि.मी.
05.	टाटा 407 या समकक्ष	08 कि.मी.
06.	टाटा 608/आयशर/डी.सी.एम./माजदा/आलवीन या समकक्ष	07 कि.मी.

इस प्रकार औसत प्रति कि.मी. पर डीजल दर वृद्धि/कमी से राशि की गणना तद्नुसार वाहन की दर में वृद्धि/कमी माह में एक बार की जावेगी। डीजल के अतिरिक्त स्पेयर्स पार्टस, आईल तथा टायर ट्यूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंध दरों में वृद्धि नहीं की जावेगी।

46. अनुबंधित वाहन पर ड्रायवर एवं क्लीनर द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त उसके स्वयं के निजी कर्मचारी होगें, तथा इन कर्मियों के संबंध में कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम एक्त या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम अथवा अन्य कोई उसी प्रकार के अधिनियमों के अंतर्गत होने वाली जिम्मेदारी का दायित्व द्वितीय पक्ष का स्वयं का होगा एवं इसका रिकार्ड तथा कटौत्रा का लेखा–जोखा द्वितीय पक्ष स्वयं को ही रखना होगा।

47. विशेष परिस्थितियों में अनुबंधित वाहन से कम क्षमता का वाहन चलाया जाने पर अनुबंधित दर में 20 प्रतिशत का कटौत्रा किया जावेगा, किन्तु वाहन ठेकेदार को मार्ग पर संकलित पूरा दूध लाना होगा। यह अनुमति वर्ष में 2–3 बार ही दी जा सकेगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में यह अवधि तीन दिवस से अधिक नही होगी। यदि इस अवधि में पुनः वाहन ठेकेदार द्वारा अनुबंधित क्षमता का वाहन नही लगाया तो उसका अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी।

48. संकलन मार्ग पर बल्क मिल्क कूलर स्थापित किये जाने पर संकलन मार्ग के वाहन ठेकेदार को 01 माह पूर्व का नोटिस दिया जाकर वाहन बन्द किया जा सकेगा।

49. डेयरी संयंत्र/शीत केन्द्र में अवरोध होने पर संकलन वाहनों को निकट के अन्य संयंत्र/शीत केन्द्र पर अनुबंधित दर पर भेजा जा सकेगा। यदि द्वितीय पक्ष द्वारा मना किया जाता है तो अन्य वाहन व्यवस्था करने पर अन्तर की राशि द्वितीय पक्ष से वसूल की जा सकेगी।

50. संघ के द्वारा जो भी निर्धारित दुग्ध संकलन मार्ग निश्चित किया गया है, उसी पर वाहन खाली/भरी चलावे, यदि सत्यापन के समय पाया गया कि, वाहन निर्धारित मार्ग से नहीं चलाया जा रहा है तो न्यूनतम एक पाली के परिवहन का आर्थिक दण्ड किया जावेगा, साथ ही परिवर्तित मार्ग से जो दूरी कम होगी उसका सम्पूर्ण अनुबंध अवधि का कटौत्रा किया जावेगा।

51. द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन लगाने के एक सप्ताह के अन्दर स्थाई लेखा संख्या(पेन नम्बर) स्व सत्यापित की छायाप्रति संघ कार्यालय को प्रेषित करना होगी। तत्पश्चात ही परिवहन देयक की स्वीकृत की कार्यवाही प्रथम पक्ष द्वारा की जावेगी।

52. द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध अवधि में यदि अपना वाहन आगे नही चलाना चाहता है तो उसके लिये वह अन्य ठेकेदार को उसी दर में समान क्षमता एवं माडल के वाहन को चलाने के लिये तैयार कर अनुबंध करावेगा। इस हेतु हस्तांतरण शुल्क राशि रूपये 5000/– संघ में जमा किया जावेगा। प्रथम चार माह में अनुबंध हस्तांतरण की अनुमति नही दी जावेगी।

53. परिवहन देयक से चार पहिया वाहन हेतु रू. 15.00 तथा छः पहिया वाहनों हेतु रू. 20.00 प्रतिदिन केन रख–रखाव कटौत्रा किया जावेगा।

54. द्वितीय पक्ष द्वारा यह सुनिश्चित हो कि अनुबंधित वाहन की नियमित सर्विसिंग होवे एवं अनुरक्षण के अभाव में दुर्धटना या खराबी उत्पन्न न हो।

55. दुग्ध परिवहन हेतु अनुबंधित वाहन में जी.पी.एस. सिस्टम (GPS System) वाहन ठेकेदार को स्वयं के व्यय से लगवाना अनिवार्य होकर उसे चालू स्थिति में रखने की समस्त जवाबदारी होगी। यदि जी.पी.एस सिस्टम खराब होता है तो उसे स्वयं के व्यय से 24 घण्टे में रिपेयर करवाकर चालू करना अनिवार्य रहेगा, ऐसा नहीं करने पर

प्रतिदिन रूपये 100/– की पेनल्टी लगाई जावेगी। लगातार जी.पी.एस सिस्टम खराब रहने पर अनुबंध निरस्ती की कार्यवाही की जा सकेगी तथा ऐसे वाहन ठेकेदार को आगामी दो वर्ष तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित भी किया जा सकेगा।

56. विवाद होने की स्थिति में समस्त न्यायालयीन कार्यवाही का कार्यक्षेत्र जिला सागर रहेगा।

मै ————————————————द्वितीय पक्ष ने उक्त अनुबंध शर्तो का अवलोकन भलीभॉति एवं पूर्ण होशोहवास में कर लिया है तथा मुझे निविदा एवं अनुबंध की समस्त शर्ते मान्य है । निम्न साक्षियों के समक्ष प्रथम पक्ष से अनुबंध करता हूँ ।

प्रथम पक्ष	**द्वितीय पक्ष**
मुख्य कार्यपालन अधिकारी बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर	हस्ताक्षर अनुबंधकर्ता... नाम .... पिता/पति का नाम .... पता .... दूरभाष क्र. .... मोबाईल नम्बर .... स्थाई लेखा संख्या पेन ....

अनुबंधकर्ता जमानतदार का नाम एवं हस्ताक्षर

1 हस्ताक्षर ....

नाम ....

पता ....

मो. नं. ....

आई.डी. प्रूफ ....

2 हस्ताक्षर ....

नाम ....

पता ....

मो. नं. ....

आई.डी. प्रूफ ....

अनुबंधकर्ता गवाह का नाम एवं पता

1 हस्ताक्षर ....

नाम ....

पता ....

मो. नं. ....

आई.डी. प्रूफ ....

2 हस्ताक्षर ....

नाम ....

पता ....

मो. नं. ....

आई.डी. प्रूफ ....

नोटः– उपरोक्त अनुबंध पत्र अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवलोकन कर सत्यापन किया गया।

प्रबंधक दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र
सील सहित

(ANNEXTURE-III)

फार्म –"A"

(नोट :– निविदाकार इस प्रोफार्मा को पूर्ण भरकर स्केन कर तकनीकी बिड के रूप में संलग्न लिफाफे (क्रमांक 1) में रखकर प्रस्तुत करेगें।

(प्रत्येक मार्ग हेतु पृथक – पृथक फार्म A का उपयोग किया जावें)

निविदाकार अपना पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ चिपकायें एवं स्वप्रमाणित हस्ताक्षर करना होगें जो आधे फोटो पर व आधे इस पेज पर।

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
सिरोंजा, सागर (म.प्र.)

विषय :– दुग्ध संकलन वाहन निविदा।

महोदय,

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के द्वारा प्रकाशित सूचना को एवं इस दस्तावेज को भली–भांति पढ़ व समझ लिया है।

1. मैं इस दस्तावेज की शर्तों व नियमों के पालन के लिये सहमत हूँ।
2. मैं मार्ग क्रमॉक . . . . . मार्ग का नाम– . . . . शीत केन्द्र का नाम–. . . . . .हेतु परिवहन दर भर रहा/रही हूँ।
3. मेरा विवरण निम्नानुसार है :–

स.क्रं.	विवरण	विवरण
3.1	निविदाकार का पूरा नाम	
	पिता का नाम	
	पता	
	दूरभाष क्रमांक कोड सहित	
	मोबाईल नम्बर	
	ई–मेल	
3.2	प्रस्तुत वाहन का प्रकार	
	वाहन का माडल वर्ष	
	वाहन का पंजीयन क्रमांक	
	वाहन की क्षमता	
	वाहन का बीमा क्रमांक	
3.3	तकनीकी बिड के साथ जमा की गई वांछित अर्नेस्ट मनी/ डिमान्ड ड्राफ्ट का विवरण।	डिमान्ड ड्राफ्ट क्र. – राशि– .... बैंक का नाम– शाखा का नाम–
3.4	निविदाकार का आयकर स्थायी खाता क्रमांक	

4. मेरी गत वर्ष में अमानत/प्रतिभूर्ति राशि दुग्ध परिवहन निविदा हाँ/नही
अन्तर्गत राजसात की गई है। यदि हॉ तो विवरण दें।

5. क्या आपको दुग्ध संघ द्वारा निविदा भरने या कार्य से हाँ/नही
प्रतिबंधित किया गया था।

यदि दुग्ध संघ द्वारा मुझे परिवहन कार्य सौपा जाता है तो मैं निर्धारित अवधि में नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करके अनुबंध करने के लिये पूर्णतः सहमत हूॅ।

मैं यह शपथपूर्वक घोषणा भी करता/करती हूॅ कि मुझे किसी शासकीय/अर्द्ध शासकीय/शासकीय एजेन्सी ने निविदा प्रस्तुती की दिनांक तक काली सूची में दर्ज नही किया है/सम्बंधित संस्था की आगामी, निविदा में भाग लेने से वंचित नही किया है ।यदि उपरोक्तानुसार शपथ मे जानकारी असत्यता/त्रुटि पाई जाती है तो मेरी निविदा निरस्ती योग्य होगी।मैं इसके द्वारा घोषित करता/करती हूॅ कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियॉ मेरे पूर्ण विश्वास एवं ज्ञान में सही है एवं इस हेतु मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहूॅगा/रहूॅगी।

निविदाकार के हस्ताक्षर . . . .

नाम . . . .

पता . . . .

(ANNEXTURE-IV)

फार्म “B”

प्रति

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर

विषयः–दुग्ध परिवहन वाहन हेतु दर प्रस्तुत करने बावत्।

महोदय,

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के द्वारा आमंत्रित ''ऑफ– लाईन निविदा'' के अनुसार बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ मर्यादित, सागर से संबंधित दुग्ध शीत केन्द्र संबंधित दुग्ध संकलन मार्गो पर दुग्ध परिवहन कार्य हेतु निम्नानुसार दर प्रस्तुत कर रहा हूँः–

नोट :–

(1) संबंधित मार्ग पर आने वाले टोल शुल्क की राशि का भुगतान पृथक से नहीं किया जाएगा।

दुग्ध संकलन परिवहन हेतु दर पत्रक
(दिनांक 16.03.2022 से .15.03.2025 तक की तीन वर्ष की अवधि हेतु)

क्र.	दुग्घ शीत केन्द्र	संकलन मार्ग क्रमांक/ मार्ग कोड	मार्ग का नाम	अनुमानित दूरी कि. मी.	वांछित वाहन	न्यूनतम केन क्षमता	**निविदाकार द्वारा भरी जाने वाली प्रति. कि.मी. दर/ प्रति पाली रु.**
1	राजनगर	06/01	सुरा–ललपुर–मनिया–राजनगर	96	टाटा एसीई/छोटा पिकअप/समकक्ष	30 केन/ 1.5 टन	
2		06/03	चंद्रनगर –सूरजपुरा–राजनगर	89	पिकअप / समकक्ष	40 केन/ 2 टन	
3		06/04	महिलवार–भवानीपुरा–राजनगर	55	छोटा हाथी/ समकक्ष	20 केन/ 1 टन	प्रति पाली रु.
4		06/05	गंज–दुपारिया–खजुराहो–राजनगर	117	टाटा एसीई/छोटा पिकअप /समकक्ष	30 केन/ 1.5 टन	
5		06/06	पहाडी–बिकौरा–राजनगर	100	टाटा एसीई/छोटा पिकअप /समकक्ष	30 केन/ 1.5 टन	
6		06/07	कटिया–बांझोन–राजनगर	101	छोटा हाथी/ समकक्ष	20 केन/ 1 टन	
7	अजयगढ़	10/01	वरियारपुर–अजयगढ	135	टाटा एसीई/छोटा पिकअप /समकक्ष	30 केन/ 1.5 टन	
8		10/02	नरदहा–चंदोरा–अजयगढ	130	छोटा हाथी/ समकक्ष	20 केन/ 1 टन	
9	हटा	04/03	पथरिया–हटा	175	टाटा एसीई/छोटा पिकअप/समकक्ष	30 केन/ 1.5 टन	
10	शाहगढ़	03/04	खरगाटोरा–सुजानपुरा–बक्स्वहा–शाहगढ़	120	पिकअप / समकक्ष	40 केन/ 2 टन	
11	पन्ना	09/01	पहाड़ीखेड़ा–सिलधरा–पन्ना	149	टाटा एसीई/छोटा पिकअप /समकक्ष	30 केन/ 1.5 टन	
12		09/02	देवेन्द्र नगर–पन्ना	126	टाटा एसीई/छोटा पिकअप /समकक्ष	30 केन/ 1.5 टन	

उपरोक्त परिवहन निविदा से संबंधित समस्त शर्तें मेरे द्वारा पढ़ कर समझ ली गई हैं, जो मुझे मान्य है।

निविदाकार के हस्ताक्षर . . . .

नाम . . . .

पता . . . .